

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


आदेश

क्रमांक 09 / गोपनीय / 2021
चार-12-31 / 72 (भाग-चार-ए)

जबलपुर, दिनांक 05 जनवरी, 2021

श्री अमर सिंह सिसोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर की प्रार्थना पर उनका गृह जिला "मण्डलेश्वर" के स्थान पर "बड़वानी" परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


05.1.2021
* (राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
69

पृष्ठांकन क्रमांक 10 / गोपनीय / 2021
चार-12-31 / 72 (भाग-चार-ए)


जबलपुर, दिनांक 05 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया श्री अमर सिंह सिसोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी लेने का कष्ट करें।
6. श्री अमर सिंह सिसोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08.11.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

- 7 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 प्रशासनिक अधिकारी, बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/क्रिमिनल चेकर/ डी0ए0 (गोपनीय शाखा)/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


05.1.2018
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल